विषय: विधान सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 402 को देय के सन्दर्भ में।

दिनांक: 28.03.2018

प्रश्नकर्ता का नाम: श्री अखिलेश पति त्रिपाठी

विभाग का नाम: महिला एवं बाल विकास विभाग

विभाग का पता: 1, कैनिंग लेन; कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली - 110001

क्या उपमुख्यमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे की :

क्र. संख्या	प्रश्न	उत्तर
(क)	दिल्ली के कितने ज़िलों ने इंदिरा गाँधी मातृत्व सहयोग योजना को अपनाया है और इससे कितनी महिलाएँ लाभान्वित हुई है;	इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना, प्रारंभिक रूप से दिल्ली राज्य के केवल दो जिलों (उत्तर पश्चिम और पश्चिम) में चल रही थी। इस योजना को बदले हुए नए नाम- **प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना**, से दिल्ली के सभी जिलों में 01.01.2017 से लागु कर दिया गया है। इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2011-12 : 5004 वित्तीय वर्ष 2012-13 : 18899 वित्तीय वर्ष 2013-14 : 25139 वित्तीय वर्ष 2014-15 : 14795 वित्तीय वर्ष 2015-16 : 15352 वित्तीय वर्ष 2017-18 : 27680 महिलाएं लाभान्वित हुई। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में दिनांक 24.03.2018 तक 14049 लाभार्थियों को 3,82,33,000/- रुपये आवंटित किये गए।
(ख)	आंगनवाड़ी केन्द्रो में भोजन उपलब्ध कराने वाले नॉन-प्रॉफिट संगठनो का पैनल बनाने के लिए अंतिम बार नीविदाएँ कब आमंत्रित की गई थी; और	आंगनवाड़ी केन्द्रो में भोजन उपलब्ध कराने वाले गैर सरकारी संगठनो का पैनल बनाने के लिए अंतिम बार नीविदाएँ सन् 2014 आमंत्रित की गयी थी ताकि एनपीओ की पैनल सूची तैयार कर सके ।
(ग)	महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के एतदसम्बन्धी नियम क्या है जिनके अनुसार नीविदा प्रक्रिया पर दोबारा चर्चा करनी पड़ी ?	भारत सरकार के निर्देशानुसार आंगनवाड़ी में पोषाहार की बाधारहित आपूर्ति की जानी चाहिए। विभाग में कार्यरत गैर सरकारी संगठनो के खिलाफ शिकायतों के निवारण के लिए इस विभाग ने एनपीओ के साथ हुए समझौते के तहत कार्यवाही करते हुए कुछ एनपीओ से आवंटित प्रोजेक्ट वापस ले लिए तथा एक एनपीओ को ब्लैकलिस्ट किया। इन एनपीओ के खिलाफ शिकायतों के निवारण हेतु निविदा प्रक्रिया पर पुनः चर्चा हुई ताकि पोषाहार की आपूर्ति सुचारु रूप से हो सके।

(शुचि सहगल)

उप-निदेशक (प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना)